7/08 14 53/3

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 Rs

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 079602

सावित्री गुप्ता

Identified
Advocate

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2007 के ......दिसम्बर...... माह के ...26... वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् .....1929.. के ....पौष..... मास ....कृष्ण पक्ष के.......03 वें दिन को **उत्तर प्रदेश के** राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चल कर **'विक्रेता'** कहा गया है) **प्रथम पक्ष** तथा **श्रीमती सावित्री गुप्ता पत्नी श्री सन्त राम गुप्ता व राजेश गुप्ता पुत्र श्री सन्त राम गुप्ता** निवासीगण 771/656, पुराना कटरा, पत्रालय-कटरा, तहसील सदर, जिला-इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर ''क्रेता'' कहा गया है) **द्वितीय पक्ष**, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि उत्तर प्रदेश के **राज्यपाल एवं श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन पुत्र स्व० लाला मनमोहन दास टण्डन** के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक **19.03.1996** जो बही संख्या 1 जिल्द संख्या 770 के पृष्ठ संख्या 57/84 पर विलेख संख्या 1043 के रूप में सब रजिस्ट्रार चायल, जिला इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक **06.04.1996** को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे **'पट्टा विलेख'** कहा गया है और जिसमें **उत्तर प्रदेश के राज्यपाल** को

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता
2. राजेश गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

(डा० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

कलक्ट्रेट कोषागार
दिनांक (8/1/09) जनरल/
नाम व पता राजेश गुप्ता पुत्र सन्त राम गुप्ता
771/656 पुराना कटरा

(8/1/09)

एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि यह फोटो स्टेट प्रति मूल दस्तावेज की सत्य एवं यथार्थ प्रतिलिपि है।

विक्रय पत्र

882,126.00/		5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती सावित्री गुप्ता
पुत्र / पत्नी श्री सन्त राम गुप्ता
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी 771/656 पुराना कटरा इलाहाबाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 2/1/2008 समय 11:32AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

सावित्री गुप्ता

जे.एस.मिश्रा (प्र0)
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद
2/1/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निषपादन श्री डा0 अख्तर रियाज, अपर जिलाधिकारी नजूल इलाहाबाद ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्टीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

क्रेता
श्री/श्रीमती सावित्री गुप्ता
पुत्र/पत्नी श्री सन्त राम गुप्ता
पेशा गृहिणी
निवासी 771/656 पुराना कटरा इलाहाबाद

श्री/श्रीमती राजेश गुप्ता
पुत्र/पत्नी श्री सन्त राम गुप्ता
पेशा अन्य
निवासी 771/656 पुराना कटरा इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

079603

16 DEC 2007

(2)

'पट्टादाता' एवं श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन पुत्र स्व० लाला मनमोहन दास टण्डन को "पट्टेदार" कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 53, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जिसका कुल क्षेत्र फल 2 एकड़ 3394 वर्गगज अथवा 13074 वर्गगज अथवा 10931.17 वर्गमीटर है का पट्टा दिनांक 12.04.1960 ई० से 30 वर्ष साथ में दो 30-30 वर्षीय अग्रिम नवीनीकरण के प्रावधानों के साथ दिया गया था पट्टे की प्रथम 30 वर्षीय अवधि दिनांक 11.04.1990 को समाप्त होने के पश्चात दिनांक 12.04.1990 से अग्रिम 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 11.04.2020 तक की अवधि के लिये नवीनीकृत पट्टे का निष्पादन दिनांक 31.12.1996 को राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा उक्त पट्टेदार श्री पुरूषोत्तम दास टण्डन के पक्ष में किया गया जिसका पंजियन उपनिबन्धक (चायल) इलाहाबाद के कार्यालय में बही संख्या 1 जिल्द संख्या 926 के पृष्ठ संख्या 89 से 102 पर विलेख संख्या 29 के रूप में दिनांक 04.01.1997 ई० को किया गया। तत्पश्चात् पट्टेदार पुरूषोत्तम दास टण्डन के मुख़्तार-ए-आम (एटार्नी होल्डर) दिनेश चन्द्र टण्डन ने दिनांक 19.10.2004 को नजूल भूखण्ड संख्या 53, सिविल

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता
2. राजेश गुप्ता

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डॉ० अख़्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

कलक्ट्रेट कोषागार [illegible]

दिनांक 18/12/09 [illegible] 2009

नाम व पता [illegible]

ने निष्पादन स्वीकार किया । Ajay Kumar Singh

जिनकी पहचान श्री अजय कुमार सिंह

पुत्र श्री एम पी सिंह

पेशा नौकरी

निवासी नरसिंहपुर कवरहा, धाता फतेहपुर

व श्री मो0 शाहिद

पुत्र श्री स्व खलील अहमद

पेशा वकालत

निवासी सिविल कोर्ट इलाहाबाद

ने की ।

Mohd Shahid

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

जे.एस.मिश्रा (प्र0)
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद
2/1/2008

7

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हज़ार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs.15000
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
0JBB 662659

18 DEC 2007

स्टेशन, इलाहाबाद व उस पर निर्मित बंगला नम्बर 37 एलिगन रोड, (लाल बहादुर शास्त्री मार्ग) इलाहाबाद का जुज़ हिस्सा बशक्ल प्लाट क्षेत्रफल 234.67 वर्गगज = 196.21 वर्गमीटर भूमि का " एग्रीमेन्ट-टू-सेल" (एकरारनामा) श्रीमती सावित्री गुप्ता पत्नी श्री सन्त राम गुप्ता व राजेश गुप्ता पुत्र श्री सन्त राम गुप्ता के पक्ष में निष्पादित किया जो कि उपनिबन्धक, इलाहाबाद प्रथम के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 खण्ड 4751 के पृष्ठ संख्या 11 से 30 पर विलेख संख्या 11923 के रूप में दिनांक 17.11.2004 को रजिस्टर्ड हुआ। तत्पश्चात उपरोक्त पट्टेदार ने अपने मुख़्तारआम दिनेश चन्द्र टण्डन द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 06.10.2005 के माध्यम से नजूल भूखण्ड संख्या 53, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद व उस पर निर्मित बंगला नम्बर 37 एलिगन रोड, (लाल बहादुर शास्त्री मार्ग) इलाहाबाद का जुज़ हिस्सा बशक्ल प्लाट क्षेत्रफल 234.67 वर्गगज = 196.21 वर्गमीटर भूमि को श्रीमती सावित्री गुप्ता पत्नी श्री सन्त राम गुप्ता व राजेश गुप्ता पुत्र श्री सन्त राम गुप्ता। (क्रेतागण) के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया जिसकी रजिस्ट्री पुस्तक संख्या 1 खण्ड संख्या 5121 के पृष्ठ संख्या 287 लगायत 320 पर क्रम संख्या 4899 के रूप में दिनांक

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता।
2. राजेश गुप्ता।

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

कलक्ट्रेट कोषागार-इलाहाबाद

दिनांक 13/2/08 जमा [illegible]

नाम व पता [illegible]

[illegible]

विक्रेता

Registration No 7 Year : 2008 Book No. 1

0101 डा0 अख्तर रियाज, अपर जिलाधिकारी नजूल इलाहाबाद

[illegible] इलाहाबाद [illegible] प्रदेश

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0JBB 662660

16 DEC 2007

(4)

07.10.2005 को उपनिबन्धक, इलाहाबाद (प्रथम) के कार्यालय में हुई है। तद्पश्चात् **श्रीमती सावित्री गुप्ता पत्नी श्री सन्त राम गुप्ता व राजेश गुप्ता पुत्र श्री सन्त राम गुप्ता** (क्रेतागण) ने नजूल भूखण्ड संख्या 53, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद में अपने अंश भाग क्षेत्रफल 196.21 वर्गमीटर भूमि को फ्रीहोल्ड कराने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की नई नजूल नीति के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2006 को आवेदन पत्र संख्या 3463 प्रस्तुत किया है। उक्त 196.21 वर्गमीटर भूमि में से महायोजना में सड़क चौड़ीकरण हेतु 43.38 वर्गमीटर भूमि मास्टर प्लान में प्रभावित है जो संलग्न नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित है जिसका फ्रीहोल्ड नियमानुसार नहीं हो सकता, शेष भूमि 152.83 वर्गमीटर भूमि का फ्रीहोल्ड श्रीमती सावित्री गुप्ता व श्री राजेश गुप्ता (क्रेतागण) के पक्ष में किया जा रहा है। चूंकि नजूल भूखण्ड संख्या 53, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के अंश भाग को फ्रीहोल्ड किया जा रहा है इस कारण इसका उपविभाजित संख्या **53/3, सिविल स्टेशन,** इलाहाबाद स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार **''क्रेतागण''** पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड, जिसे इस

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता
2. राजेश गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डॉ० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

कलक्ट्रेट कोषागार-...बाद

दिनांक 18/1/...

नाम व पता ...

क्रेता

Registration No. 7 Year : 2008 Book No. 1

0201 सावित्री गुप्ता
सन्त राम गुप्ता
771/656 पुराना कटरा इलाहाबाद
गृहिणी

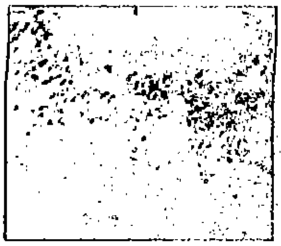

0202 राजेश गुप्ता
सन्त राम गुप्ता
771/656 पुराना कटरा इलाहाबाद
अन्य

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.
INDIA NON JUDICIAL
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000
0JBB 662661

(5)

विलेख की अनुसूची में वर्णित किया गया है, का पट्टेदार से पट्टागत भूमि के क्रेतागण हैं।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसके कि वह क्रेतागण हैं, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9 -आ-4-92-293एन/90, दिनांक 23.05.1992, शासनादेश संख्या 3632/9 -आ-4-92-293एन/90, दिनांक 2-12-1992, शासनादेश संख्या 2093/9-आ-4-94-293एन/90, दिनांक 3-10-1994, शासनादेश संख्या-3082/9-आ-4-95-628एन/95, दिनांक 1-1-1996, शासनादेश संख्या- 82/9-आ-4-96-629एन/95, दिनांक 17-2-1996, शासनादेश संख्या- 1300/9-आ-4-96-629एन/95, (टी.सी), दिनांक 29-8-1996, शासनादेश संख्या 2029/9-आ-4-97-260एन/97, दिनांक 26-09-1997, शासनादेश संख्या - 667/9 -आ-4-98-691/1997 (टी.सी), दिनांक 23 अप्रैल, 1998, शासनादेश संख्या - 2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-1998, शासनादेश संख्या-1592/9-आ-4-99-691एन/97, टी.सी., दिनांक 20-5-1999 एवं शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-2002-152एन/2000,

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता
2. राजेश गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

कलक्ट्रेट कोषागार इलाहाबाद

दिनांक .... जनरल / कोर्ट फीस रुपया ....

नाम व पता ....

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

(6)

टी.सी., दिनांक 10-12-2002 तथा शासनादेश संख्या 645/8-4-05-175 एल/डब्लू/2006 दिनांक 19.4.2005 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री-होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या -2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर 1998, शासनादेश संख्या -2961/9-आ-4-99-350एन/99T.C, दिनांक 03.12.1999 एवं शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-2002-152एन/2000, टी.सी., दिनांक 10-12-2002 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रूपये **2,94,315/-** (शब्दों में रूपये **दो लाख चौरानबे हजार तीन सौ पन्द्रह** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या **B7** दिनांक 15.06.2006 द्वारा तथा दिनांक 04.09.2006 को निर्गत मांग पत्र संख्या 244/नजूल-(एस.एन.सी.) XXI-8/3463 (फ्रीहोल्ड) 2006-07 द्वारा अपेक्षित धनराशि रूपये **5,87,811/-** (शब्दों में रूपये **पाँच लाख सत्तासी हजार आठ सौ ग्यारह** मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता
2. राजेश गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

कलक्ट्रेट कोषागार-[illegible]बाद

दिनांक 18/1/49 .... [illegible] .... रुपया [illegible]

नाम व पता .... [illegible] .... [illegible]

.... [illegible] ....

(हस्ताक्षर)

[illegible] उत्तर प्रदेश

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.　Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

कलेक्ट्रेट ... कोषागार

10 DEC 2007

(7)

9 दिनांक 21.11.2006 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित निर्धारित मूल्य रूपये **8,82,126/-** (शब्दों में रूपये **आठ लाख बयासी हजार एक सौ छब्बीस** मात्र) क्रेतागण से प्राप्त करके ज़िलाधिकारी, जिला-इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेतागण के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेतागण द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रूपये **8,82,126/-** (शब्दों में रूपये **आठ लाख बयासी हजार एक सौ छब्बीस** मात्र) जिला-इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तो जिनका क्रेतागण पालन करेंगे, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड,

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता
2. राजेश गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डॉ० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

कलक्टरेट कोषागार-इलाहाबाद
दिनांक 18/14 को [illegible] जनरल/ [illegible]
नाम व पता [illegible]
[illegible] 636 [illegible]

[illegible]

37 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

19 DEC 2007

(8)

उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट **अनावासीय** भू-उपयोग के निमित फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेतागण को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेतागण, उसके दायाधिकारी तथा समुनिदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेतागण करेगें।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यह फ्रीहोल्ड विलेख रिट याचिका संख्या 32605/1991, सत्य नारायण कपूर प्रति

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता

2. राजेश गुप्ता

सावित्री गुप्ता
सावित्री गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

दिनांक

नाम व पता

(9)

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या 20430/1992, श्रीमती रफीकुन्निसा प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं रिट याचिका संख्या 16325/1994, मोहम्मद अली प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेतागण वहन करेगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द **''विक्रेता''** और **''क्रेतागण''** के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, **''विक्रेता''** में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समुनिदेशिती का तथा **''क्रेतागण''** में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समुनिदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेतागण और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता
2. राजेश गुप्ता

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)
अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
(डा० अख्तर रियाज)
अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता — सावित्री गुप्ता

18/12/07

[नाम व पता] राजेश गुप्ता पुत्र स्व० गणेश राम गुप्ता –

331/658 प्रयाग कटरा

18/12/07

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs. 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

11 DEC 2007

अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है :-

नजूल भूखण्ड संख्या **53, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का उपविभाजित उपखण्ड संख्या 53/3,** सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 152.83 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला लोहिया मार्ग एवं लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, ज़िला-इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है :-

पूरब - नजूल भूखण्ड संख्या 53, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का अंश भाग।

पश्चिम - 23, फिट चौड़ी आन्तरिक रोड।

उत्तर - मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि तत्पश्चात् लाल बहादुर शास्त्री मार्ग।

दक्षिण - नजूल भूखण्ड संख्या 53, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का अंश भाग।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रूपये **2,94,315/-** (शब्दों में रूपये **दो लाख चौरानबे हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र**) ट्रेजरी चालान संख्या **B7** दिनांक 15.06.2006 द्वारा तथा निर्गत मांग पत्र की धनराशि **5,87,811/-** (शब्दों में रूपये **पाँच लाख सत्तासी**

क्रेतागण के हस्ताक्षर

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता।
2. राजेश गुप्ता।

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)

अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा

उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० अख्तर रियाज)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता

सावित्री गुप्ता

১৪/১২/১০

[illegible] ৭৩১/৬৫৮ [illegible]

১৪/১২/১০

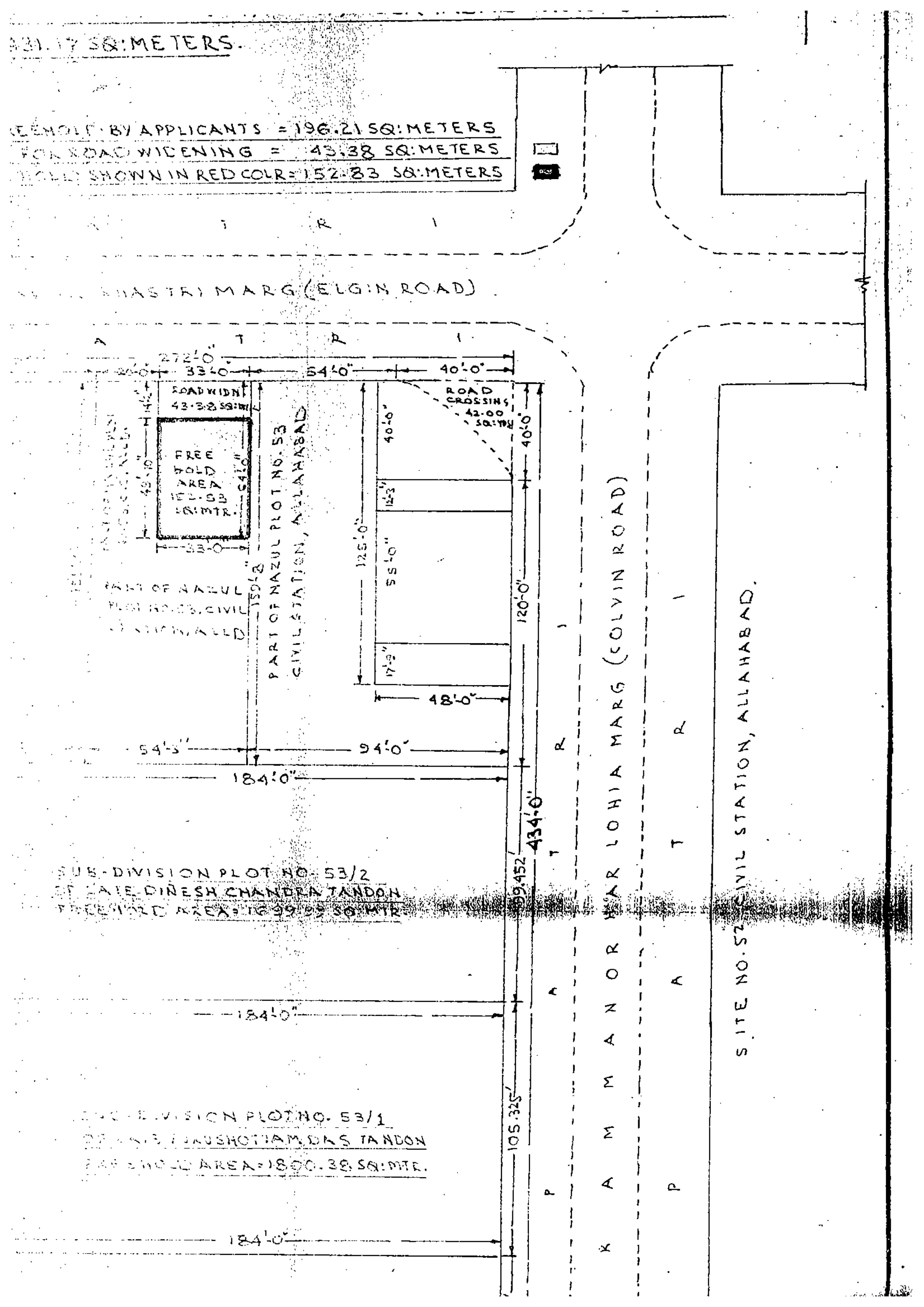
SQ:METERS.
BY APPLICANTS = 196.21 SQ:METERS
FOR ROAD WIDENING = 43.38 SQ:METERS
SHOWN IN RED COLR = 152.83 SQ:METERS
SHASTRI MARG (ELGIN ROAD)
272'-0"
33'-0"
54'-0"
40'-0"
ROAD WIDN
ROAD CROSSING 42.00 SQ:MTR
FREE HOLD AREA
PART OF NAZUL PLOT NO. 53 CIVIL STATION, ALLAHABAD
125'-0"
55'-0"
120'-0"
48'-0"
54'-3"
94'-0"
184'-0"
434'-0"
SUB-DIVISION PLOT NO. 53/2
DINESH CHANDRA TANDON
99.452'
184'-0"
105.325'
SUB-DIVISION PLOT NO. 53/1
AREA = 1800.38 SQ:MTR.
184'-0"
RAM MANOHAR LOHIA MARG (COLVIN ROAD)
SITE NO. 52 CIVIL STATION, ALLAHABAD.

৭৩১/৫

24

100

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

DEC 2007

(11)

हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 9 दिनांक 21.11.2006 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण मूल्य रुपये **8,82,126/-** (शब्दों में रुपये **आठ लाख बयासी हजार एक सौ छब्बीस** मात्र) जमा कर दिया है।

क्रेता के हस्ताक्षर

सावित्री गुप्ता सावित्री गुप्ता

1. श्रीमती सावित्री गुप्ता

2. सतीश गुप्ता

निवासीगण 771/656, पुराना कटरा, इलाहाबाद

विक्रेता

(डॉ० अख़्तर रियाज़)

अपर ज़िलाधिकारी,(नजूल) इलाहाबाद

राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

(डा० अख्तर रियाज)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)

इलाहाबाद

1. साक्षी का हस्ताक्षर Mohd Shahid Adv

पूरा नाम MOHD SHAHID ADVOCATE

पिता का नाम LATE KHALIL AHMAD

पता 743/489 MUTTHIGANJ ALLD

1. साक्षी का हस्ताक्षर

नाम व पदनाम राम प्रसाद नजूल लिपिक कलेक्ट्रेट इलाहाबाद

2. साक्षी का हस्ताक्षर Ritesh

पूरा नाम RITESH KUMAR AGRAHARI

पिता का नाम SRI BAJRANG AGRAHARI

पता 484/411 OLD KATRA ALLAHABAD

2. साक्षी का हस्ताक्षर

नाम व पदनाम [illegible] (आलोक [illegible]) (वरिष्ठ नजूल लिपिक) कलेक्ट्रेट इलाहाबाद

सावित्री गुप्ता

आज दिनांक **02/01/2008** को

बही सं **1** जिल्द सं **5863**

पृष्ठ सं. **183** से **206** पर कमांक **7**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

जे.एस.मिश्रा (प्र0)
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद
2/1/2008